Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001
Phone: 011-71233525 **CIN:** L74899DL1998PLC093073
Email: investors@petronetlng.in, **Company's website:** www.petronetlng.in

ND/PLL/SECTT/REG. 30/2025

30th August 2025

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East, Mumbai – 400 051

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Newspaper advertisement for Notice of 27th Annual General Meeting of Petronet LNG Limited

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper clipping for Notice of 27th Annual General Meeting of Petronet LNG Limited, published in Hindustan Times (English) and Dainik Bhaskar (Hindi) on 30th August 2025.

This is for information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully

Rajan Kapur
Digitally signed by Rajan Kapur
Date: 2025.08.30 11:31:28 +05'30'

(Rajan Kapur)
GGM & President - Company Secretary

Encl: as above

HC: Wife can seek CDR data if she suspects an affair

Shruti Kakkar
shruti.kakkar@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi High Court on Friday ordered that a wife can seek preservation and disclosure of call data records (CDR) and location details of her husband and his alleged paramour to substantiate claims of adultery, saying these are objective records that assist in adjudication.

A bench of justices Anil Kshetarpal and Harish Vaidyanathan Shankar delivered the verdict while hearing a petition filed by the husband and his alleged paramour, challenging the family court's April 2025 order. The family court had allowed the wife's application seeking the preservation and disclosure of the paramour's location details, as well as the husband's CDR, asserting that the same was imperative to prove the charge.

The couple got married in October 2002 and had two children. However, the wife sought divorce in 2023 on the grounds of adultery and cruelty, claiming that her husband and his alleged lover maintained an illicit relationship.

The family court, on April 29, had allowed the wife's application and had directed the SHO and telecom providers to preserve the details from January 2020 to date.

In her petition before the high court, the paramour had asserted that the permission granted to the wife is illegal, violative of the fundamental right to privacy, and the application was like fishing enquiry into her private life. She further submitted that the woman had only sought the details with an ulterior motive to harass and damage her reputation.

The husband had added that his wife had failed to prima facie establish a case of adultery. He further submitted that mere telephonic conversations or tower proximity could not establish adulterous conduct.

Considering the contentions, the court upheld the family court's order, citing the 2003 Supreme Court's ruling in Sharda v Dharmpal, in which it was held that limited intrusions into personal privacy are allowed if they are necessary to uncover the truth. "The direction to disclose CDRs and location data is not a speculative fishing exercise, but one directly tied to the pleadings. Being neutral business records maintained by telecom operators, such data can provide corroborative circumstantial evidence, without trenching upon the content of private communications," the court held.

PUBLIC NOTICE

Our Client is desirous of **acquiring residential property situated at Plot No. 5, Block No. 14, 17, Motilal Nehru Marg (formerly, York Road), New Delhi-110001 admeasuring 14973.383 sq. mtrs.** and for the same, we are investigating the title of current owners of the said property namely, **Smt. Raj Kumari Kackar and Smt. Bina Rani**.

Any person claiming any right or title with respect to the said property, such entity / person may inform us in writing with documentary proof on the address mentioned below within a period of 7 (Seven) days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that no adverse title or right of any nature whatsoever exists in respect of the said property, and **Smt. Raj Kumari Kackar and Smt. Bina Rani** are vested with absolute, clear and marketable right, title and interest to the said property.

Akshit Kapoor
(Partner)
Luthra & Luthra Law Offices
9th Floor, Ashoka Estate, Barakhamba Road,
New Delhi-110001. Ph : 011-41215100

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Ansari Nagar, New Delhi-110029

VACANCY NOTICE

Applications are invited in the prescribed proforma for filling up 01 post of **Assistant Controller of Examination** ON DEPUTATION at AIIMS, New Delhi in Level 11 in the Pay Matrix (Pre revised PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 6600)

For essential eligibility conditions, other details and terms & conditions, please visit the Institutes' website **www.aiims.edu** under the heading ***'Recruitment'***. The candidates who fulfil the prescribed eligibility conditions may submit their applications in the prescribed proforma (available on the website) to the Director, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi-110608, so as to reach the addressee within **45 days** from the date of publication of advertisement.

CBC 17112/12/0024/2526 **ADMINISTRATIVE OFFICER (RECTT.)**

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR RESEARCH ON GOATS
MAKHDOOM, P.O.FARAH-281 122, MATHURA U.P.

Phone: 0565-2763380 (Director), 0565-2763327 (Admin. Officer)
Fax No.0565-2763246

F. No.2-3(7)/R&P/2025 Dated: 29th August 2025

VACANCY NOTIFICATION

Seven (07) contractual positions of Young Professional-I in the different Project/Scheme is proposed to be filled through walk-in-interview on 15.09.2025 from 09:30 AM onwards.
Corrigendum if any will be published/uploaded on the Institute website/e-office only. Interested candidates may visit our website www.cirg.res.in for details.

(JAGBIR SINGH)
ADMINISTRATIVE OFFICER

OFFICE OF THE RESIDENT COMMISSIONER
Government of West Bengal, New Delhi

- **CAR Hiring (Online Submission)**

Please visit : **https://wbtenders.gov.in**
Tender ID : **2025_WBTID_895941_1**
2025_WBTID_895941_2
2025_WBTID_895941_3

Phone No.: 011-23348762, 23364953, 23344269

CENTRAL INSTITUTE OF HIMALAYAN CULTURE STUDIES
DAHUNG::WEST KAMENG DISTRICT
ARUNACHAL PRADESH-790116

An Autonomous Body of the Ministry of Culture, Government of India
Advt. No. 3-222/2025/CIHCS-01

Applications are invited in duplicate from eligible candidates for filling up one post of Director, Central Institute of Himalayan Culture Studies (CIHCS), Dahung, West Kameng District, Arunachal Pradesh.
The eligibility criteria and other details along with the application form may be downloaded from the website of Ministry of Culture: **www.Indiaculture.nic.in** and Institute website: **www.cihcs.edu.in**

Administrative cum Accounts Officer
CIHCS, Dahung

Uttarakhand Urban Sector Development Agency (UUSDA) Govt. of Uttarakhand (ADB Assisted Program)
777, Saatvik Tower, 2nd Floor, Opposite Hotel LP Residency. Rajender Nagar, Kaulagarh Road, Dehradun
Phone: +91-135-2753894, Fax: 0135-2754895, Website: www.uusdip.org, Email: uusdip@gmail.com

UUSDA/A-166(Vol-8)/ 1390 Dated: 29/08/2025

Urgent Recruitment Drive on Deputation

Uttarakhand Urban Sector Development Agency (UUSDA) is committed to develop infrastructure facilities like Water Supply, Sewerage, Solid Waste Management, and implement utilities, reforms in Urban Towns in Uttarakhand. The works are being executed with the support of Consultants having international experience, thus offering an opportunity to work on challenging Externally Aided Projects. Applications are invited for the following vacant/ likely to fall vacant posts at UUSDA on Deputation.

S.N.	Name of Post	Nos.	Minimum Educational/ Technical Qualification/Experience	Pay Matrix Level	Engagement Type
1.	Additional Program Director (Technical) (Chief Engineer Level)	01	Graduate Engineer working as minimum Superintending Engineer level, working in the grade pay Rs. 8900/- or above since 3 years from any Engineering department of GOI/PSU/State Government Undertaking Department/Corporation (At least 3 years exposure of EAP Projects).	37400-67000 (Grade Pay-10000) (Pay matrix as per 7th Pay Commission)	Deputation
2.	Deputy Program Director	01	1. Engineer Graduate with minimum Government Service length-15 Years. 2. Superintendent Engineer OR 06 Years at Executive Engineer Level Officer in State Government/GoI/PSU. 3. Experience in EAP Project is preferred	37400-6700 (Grade Pay -8700)	Deputation
3.	Project Manager/ Executive Engineer	01	Graduate Engineer with 05 years' Experience as Assistant Executive Engineer/ Assistant Engineer level with minimum 05 years experience, preferably 08 years experience.	Level-11 (According to 6th CPC 15600-39100 Grade Pay- 6600 & 7600 as the case may be)	Deputation
4.	Assistant Engineer (Civil)	03	Graduate Engineer as Assistant Engineer/ Additional Assistant Engineer with 03 years experience or Diploma Engineer as Assistant Engineer OR Junior Engineer with 07 years of experience	Level-10 (According to 6th CPC 15600-39100 Grade Pay-5400)	Deputation

Terms and Conditions:- (1) **Preference will be given to those candidates who have worked in large-scale projects of over Rs. 100 crores related to water supply, sewerage, and urban infrastructure.** (2) The appointment will be made for a period of 05 years and can be extended based on performance. (3) The above positions are time-bound and co-terminus with the Program, and the engagement under this does not confer any right/claim whatsoever, either explicitly or implicitly, for any regular appointment in UUSDA. (4) Applicants working in Government departments shall submit their application through proper channel. However, they can submit an advance copy of the application directly to UUSDA, but they will have to submit a 'No Objection Certificate' from their department at the time of the interview or as directed. (5) No TA/ DA will be paid for attending the interview. (6) Interested candidates may apply in the prescribed format with relevant documents. (7) The number of posts can be varied as per the requirement of the program. (8) Only shortlisted candidates will be invited for the interview by email/ telephone only. (9) The competent authority reserves the right to withdraw the aforesaid advertisement/posts without issuing any prior notice. **For the application form and other details, please visit our website https://uusda.uk.gov.in. Last date of receipt of applications is 20 Sep 2025 by registered/ speed post or by hand.**

Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane,
New Delhi – 110001
Phone: 011-71233525
CIN: L74899DL1998PLC093073
Email: investors@petronetlng.in, **Company's website:** www.petronetlng.in

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("27th AGM") of the Members of Petronet LNG Limited ("the Company") will be convened on **Wednesday, September 24, 2025 at 3:30 P.M. (IST)** through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact ordinary and special businesses, as set out in the Notice of 27th AGM, in compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

In terms of above MCA and SEBI circulars, the Notice of 27th AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted at the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/ concerned Depository Participants/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA") and the email process has been completed on 29th August 2025.

The Notice and the Annual Report are also available on the Company's website at **www.petronetlng.in** and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively, and on the website of e-voting agency i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com**.

Record Date and Payment of Final Dividend 2024-25

Friday, 4th July 2025 was fixed as the **'Record Date'** for determining the entitlement of shareholders to final dividend (Rs. 3.00 per equity Share of Rs. 10 each) for FY 2024-25 ("Dividend") as recommended by the Board of Directors of the Company, subject to approval of the Members of the Company at the 27th AGM.

The final dividend, if approved, by the Members in the ensuing AGM, will be paid to the eligible shareholders within the stipulated period of 30 days of declaration.

Members may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company is taxable in the hands of Members. The Company shall, therefore, be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making the payment of dividend. In order to enable Company to determine the applicable TDS rate, Members were requested to submit the relevant documents on or before 23rd August 2025. The detailed communication regarding TDS on dividend is provided on the link **Petronet LNG Limited : TDS Related Information - Petronetlng**.

Instructions for remote e-voting and e-voting during 27th AGM

In terms of statutory provisions, the Company is pleased to provide Members facility through NSDL to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at 27th AGM of the Company through remote e-voting and electronic voting at the 27th AGM.

Members are requested to note the following:

(i) **The business of the meeting shall be transacted through remote e-voting system and Company is providing facility for voting by electronic means**	Yes
(ii) **Cut-off date to ascertain the eligibility of Members to vote through remote e-voting or by voting at AGM**	Wednesday, September 17, 2025
(iii) **Date and time of commencement of remote e-voting**	Saturday, September 20, 2025 (9:00 a.m. IST)
(iv) **Date and time of end of remote e-voting**	Tuesday, September 23, 2025 (5:00 p.m. IST)
(v) **Voting through electronic means shall not be allowed beyond**	Tuesday, September 23, 2025 (5:00 p.m. IST)
(vi) **Website address of the Company and NSDL where the Notice of 27th Annual General Meeting is displayed**	**www.petronetlng.in** **www.evoting.nsdl.com** **Notice Board at the Registered Office of the Company**
(vii) **Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the remote e-voting**	Shri Rajesh Mishra, Bigshare Services Private Limited (RTA) Pinnacle Business Park Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai – 400093 Phone: 022-62638200, 011-42425004, 011-47565852 **Email : investor@bigshareonline.com** In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL **at evoting@nsdl.co.in**

A. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 27th AGM can also attend the 27th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
B. During the period of remote e-voting as mentioned above, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized from, as on the **cut-off date i.e. Wednesday, September 17, 2025**, may cast their vote by remote e-voting. Remote e-voting shall not be allowed beyond **Tuesday, September 23, 2025 at 5:00 p.m. (IST)** and the remote e-voting facility shall be blocked thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member through remote e-voting, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
C. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. **Wednesday, September 17, 2025**.
D. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of 27th AGM or whose email id is not registered with the Company/ RTA / Respective DP and holding shares as of the cut-off date i.e. **Wednesday, September 17, 2025**, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in**
E. The facility for voting electronically will be made available at the 27th AGM to the Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting.
F. A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at 27th AGM electronically. A person who is not a Member as on cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
G. The manner of voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM.
H. The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the date of the 27th AGM i.e. **Wednesday, September 24, 2025.**

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

General appeal to Members

1. **'Saksham Niveshak-100 days campaign'**- Pursuant to the MCA circular dated July 16, 2025, the Company has initiated 100 days campaign for updation of KYC and other related details of Members including bank details to prevent transfer of unpaid/unclaimed dividends to IEPF and for claiming the unpaid/unclaimed dividends lying with the company.
2. Accordingly, it is earnestly requested that the Members who have yet not registered/ updated their KYC details including PAN, choice of nomination, contact details (mobile number, email address), bank account details, specimen signatures to notify the same to your concerned depository, if the shares are held in dematerialized form and, in case the shares are held in physical form, to notify the same to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company.
3. **'Special window for re-lodgement of share transfer'** - SEBI through circular dated July 2, 2025 has opened a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents / process / or otherwise, for a period of six months from July 7, 2025 till January 6, 2026. During this period, the securities that are re- lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum demat requests.
4. Detailed information/circular can be accessed at the Company's website at www.petronetlng.in→investors→shareholders information→norms for processing investor service requested by RTA & related forms.

By order of the Board
For Petronet LNG Limited

Sd/-
(Rajan Kapur)
GGM & President - Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 29th August 2025

Note : No gifts, gift coupons or cash in lieu of gifts shall be distributed to Members in the context of 27th Annual General Meeting.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ओमेगा–1 (पी–2), ग्रेटर नोएडा,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

YEIDA FUTURE IS HERE

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/946/2025 **दिनांकः 26.08.2025**

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार, गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में अंकित है–

(सैक्टर–29, ग्राम-करौली बांगर)

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
1.	224	450	1.1090	में से	0.1848	कुसुम पत्नी जुगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
2.	224	450	1.1090	में से	0.1848	नवीन कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
3.	224	450	1.1090	में से	0.1848	विपिन कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
4.	294	187	0.7100	में से	0.0451	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्यौदान सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
5.	224	450	1.1090	में से	0.1697	सुरेश देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह व रविन कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
6.	224	450	1.1090	में से	0.0848	प्रवीन सिवाच पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला हुकम सिंह मजरा करौली बांगर, तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर। हाल नि. सुखसागर कालौनी, सिरसा, हरियाणा।

प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण के नियोजित सै. 29 के अन्तर्गत होने के कारण क्रय हेतु प्रस्तावित है।
• उक्त भूमि को क्रय करने हेतु तालिका में अंकित काश्तकारो द्वारा सहमति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जानी प्रस्तावित है।
• प्रस्तावित भूमि को प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 03 के अनुसार रूपये 3808.00/प्रति वर्ग मी. की दर से सम्बन्धित भूस्वामी के पक्ष में भुगतान किया जाएगा व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आवटित किया जाएगा।
उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में **15 दिवस के अंदर** यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय/सी.आर.सैल में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट **www.yamunaexpresswayauthority.com** देखें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा–1, (पी–2), ग्रेटर नौएडा,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइटः www.yamunaexpresswayauthority.com

YEIDA FUTURE IS HERE

पत्रांकः वाई.ई.ए./भूलेख/1798/2025 **दिनांकः 25.08.2025**

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम फाजिलपुर, थोरा के अन्तर्गत आने वाली भूमि का सुनियोजित विकास हेतु सम्बन्धित कृषकों द्वारा दी गई सहमति की दर 3808/– प्रति वर्गमीटर से प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या–314/77–3–163एम दिनांक 23.02.2016 में तय प्रक्रियानुसार निम्नानुसार क्रय किया जाना प्रस्तावित है, आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है:–

ग्राम फाजिलपुर, थोरा, द्यौरार

क्रमांक	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	फाजिलपुर (सै.–11)	रिन्कू पुत्र रामा नि० ग्राम मकसूदपुर	17 15	235 161 137	0.4550 0.2880 0.3020	में से	0.0379 0.0480 0.0504 0.1363
2.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री गजराज सिंह पुत्र शंकरलाल नि० ग्राम मौहम्मदपुर जादों	44 32	03 14	0.7940 1.0600	में से	0.0507 0.1061 0.1568
3.	फाजिलपुर (सै.–11)	सुनील कुमार, संजीव, भोला सिंह पुत्रगण मुनीम सिंह नि0 ग्राम चकजलालाबाद	32 146	14 02	1.0600 0.6520	में से	0.0632 0.0274 0.0906
4.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री महेन्द्र पुत्र इन्द्राज नि० ग्राम जौनचाना	118	119	1.2350	में से	0.0823
5.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सतवीर नि० ग्राम जौनचाना	114	44	0.3720	सम्पूर्ण	0.3720
6.	फाजिलपुर (सै.–11)	सतवीर सिंह पुत्र इन्द्राज नि० ग्राम चौनचाना	118	119	1.2350	में से	0.0824
7.	फाजिलपुर (सै.–11)	कनक त्यागी पत्नी नवनीत त्यागी नि० ग्राम जौनचाना	14	65	0.7290	में से	0.0729
8.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री अंकित कुमार गौतम पुत्र सूरज सिंह, सुशीला पत्नी सूरज सिंह, रविन्द्र कुमार पुत्र तेजराम सिंह गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी कैम्पस कासना	5	147	0.6560	में से	0.0632
9.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री अजय कुमार, पंकज कुमार पुत्रगण सोहनपाल व श्रीमती अंजू रानी पत्नी अजय कुमार, श्रीमती काजल पत्नी पंकज कुमार नि० डी०–25 गली न0–02 विजय नगर गाजियाबाद व ममता रानी पत्नी सोनू सिंह नि0 देवली पलवल हरियाणा व श्रीमती शुभम पत्नी शिवकुमार नि० डी0–25 गली न0–02 विजय नगर गाजियाबाद	5	147	0.6560	में से	0.0632
10.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्रीमती राजवती पत्नी जयप्रकाश व रिंकू पुत्र जयप्रकाश नि० ग्राम मौहम्मदपुर जादों	44 32	03 14	0.7940 1.0600	में से	0.0133 0.0177 0.0310
11.	फाजिलपुर (सै.–11)	जस्सो पत्नी हरवीर, दाताराम व सोनू पुत्रगण हरवीर नि० डेरीन खेडा, चौगानपुर	87	170	0.4180	में से	0.1394
12.	फाजिलपुर (सै.–11)	रणवीर सिंह पुत्र वासी नि० डेरीन खेडा, चौगानपुर	87	170	0.4180	में से	0.1393
13.	फाजिलपुर (सै.–11)	सत्यवीर सिंह पुत्र वासी नि० डेरीन खेडा, चौगानपुर	87	170	0.4180	में से	0.1393
14.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री ओमदत्त त्यागी पुत्र बिहारी नि० ग्राम जौनचाना	80 79	81 57	0.3220 0.6100	में से	0.0805 0.1525 0.2330
15.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री महेचन्द पुत्र बिहारी नि० ग्राम जौनचाना	80 79	81 57	0.3220 0.6100	में से	0.0805 0.1525 0.2330
16.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री मनोज कुमार पुत्र बलवन्ता नि० ग्राम मकसूदपुर	75	250	0.8850	में से	0.0983
17.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री शैलेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र सूरजभान नि० ग्राम मकसूदपुर	75	250	0.8850	में से	0.1475
18.	फाजिलपुर (सै.–11)	शान्ती स्वरूप पुत्र घनश्याम नि० ग्राम मकसूदपुर	90	223 116 236 121 222	0.2320 0.6100 0.7330 1.0610 0.1900	में से	0.0773 0.2033 0.2443 0.3536 0.0634 0.9419
19.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री चमनलाल पुत्र सागर सिंह नि० ग्राम फाजिलपुर	38	27 197	0.3240 0.1640	में से	0.1620 0.0820 0.2440
20.	फाजिलपुर (सै.–11)	श्री रवि कुमार पुत्र अतर सिंह नि० मकसूदपुर	75	250	0.8850	में से	0.1475
21.	थोरा (सै.–08डी)	बहादुर सिंह पुत्र तुलसी सिंह नि0 ग्राम थोरा	734 735 734	968 1047 973	0.6280 0.9110 0.8360	में से	0.0785 0.1138 0.1045 0.2968
22.	थोरा (सै.–08डी)	श्रीमती रूपवती देवी पत्नी विजयपाल नि0 ग्राम थोरा	182	1262	0.0920	में से	0.0460
23.	थोरा (सै.–08डी)	नीलिमा बगडा पत्नी अमित कुमार बगडा नि० पंडया मां सुजानगढ चूरू	345	1046	0.9210	में से	0.7675
24.	थोरा (सै.–08डी)	नीलेश जैन पुत्र टीकमचन्द जैन नि० दिल्ली	345	1046	0.9210	में से	0.7675
25.	द्यौरार (सै.–08डी)	श्री सतीश चन्द जोशी पुत्र पदमदत्त नि0 नौएडा	392	59	4.2410	में से	0.6750
26.	द्यौरार (सै.–08डी)	श्री वागीश पाठक पुत्र प्रेम स्वरूप पाठक नि0 दिल्ली	352	123	1.6750	में से	0.1687

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

महत्वपूर्ण सूचना: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइज़र के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की मुख्य थीम 'एक घंटा, खेल के मैदान में', पर अफसोस...

इंदौर में हॉकी मैदान नहीं, रोज 200 खिलाड़ी फुटपाथ पर प्रैक्टिस कर रहे

मयंक यादव | इंदौर

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की मुख्य थीम 'एक घंटा, खेल के मैदान में' है। पर अफसोस कि खेलों की राजधानी इंदौर में एक भी हॉकी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। शहर में रोज 200 से अधिक खिलाड़ी फुटपाथ और मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं।

हॉकी इंदौर के कार्यकारी अध्यक्ष देवकीनंदन सिलावट कहते हैं, चिमनबाग मैदान और प्रकाश हॉकी क्लब पर 200 से अधिक खिलाड़ी रोज अभ्यास करते हैं। प्रकाश हॉकी क्लब के मैदान पर नगर निगम ने ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है। इसी जगह पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण, किशन दादा और मीररंजन नेगी खेल चुके हैं। ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद खिलाड़ी अब फुटपाथ पर अभ्यास करने को मजबूर हैं। वहीं चिमनबाग मैदान पर मिट्टी में हॉकी खेली जा रही है। सुविधा नहीं होने के बाद भी शहर की संस्कृति सारवान, अक्सा खान, अर्शदीप कपूर, प्रियंका यादव, मिताली शर्मा और कनक पाल ने भारतीय टीम में जगह बनाई है।

टर्फ नहीं होने से प्रैक्टिस पर पड़ता है असर

चक दे इंडिया फिल्म में शाहरुख खान को हॉकी सिखाने वाले पूर्व भारतीय गोलकीपर मीररंजन नेगी फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग देने को मजबूर हैं। वे कहते हैं, मैदान नहीं होने से खिलाड़ियों को सिर्फ ड्रिबलिंग और शॉर्ट पासेस के बारे में जानकारी दे पाते हैं। लॉन्ग पासेस नहीं सिखा पाते हैं। सीमेंट और टर्फ पर गेंद की रफ्तार में भी अंतर होता है, जिसका नुकसान खिलाड़ियों को स्पर्धा के दौरान होता है।

प्रैक्टिस से पहले बीनना पड़ते हैं कांच

हॉकी इंदौर के सचिव किशोर शुक्ला कहते हैं चिमनबाग मैदान पर अंधेरा होने के बाद कई शराबी घुस आते हैं। वे शराब पीने के बाद मैदान में बोतल फेंक जाते हैं। कई बार बोतल फोड़ देते हैं। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों को कांच बीनना पड़ते हैं। कांच की वजह से कई बार खिलाड़ी घायल हो चुके हैं।

48 साल पहले 500 खिलाड़ी खेलते थे

कोच अशोक यादव ने बताया कि प्रकाश क्लब 85 साल पुरानी संस्था है। यहां करीब 500 से अधिक खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते थे। 40-50 साल तक खेल का काफी अच्छा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों में कमी आना शुरू हुई। इंदौर में मैदानों की संख्या काफी थी, लेकिन हॉकी मैदान कम ही थे। मूसाखेड़ी, चिमनबाग और डेली कॉलेज मैदान पर ही हॉकी खेली जाती थी। सरकार द्वारा राऊ क्षेत्र में हॉकी एकेडमी बनाकर टर्फ लगाया जा रहा है। सरकार हॉकी एकेडमी तैयार करना चाहती है तो उसे शहर के बीच में टर्फ लगाना चाहिए। सरकार को युवा खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं जुटाना चाहिए।

इंडिया टुडे-सी वोटर के मूड ऑफ नेशन सर्वे, पहले नंबर पर सीएम बिस्वा

41.9% लोगों को साय के काम पर भरोसा बड़े राज्यों में दूसरे सबसे असरदार मुख्यमंत्री

भास्कर न्यूज | रायपुर

इंडिया टुडे– सी वोटर के मूड ऑफ नेशन सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कामकाज पर जनता का भरोसा दिखाया है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में 41.9 प्रतिशत लोगों ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, जो फरवरी 2025 के 39% से बढ़कर दर्ज हुआ है। यानी महज छह महीनों में मुख्यमंत्री के प्रति जनता की संतुष्टि में 2.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि बड़े राज्यों की श्रेणी में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित करती है। सर्वेक्षण के अनुसार सुशासन तिहार और विकास योजनाओं ने मुख्यमंत्री साय को सर्वे में ऊंचा स्थान दिलाया है। सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं और कार्यक्रम जनता तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं।

जनता के विश्वास का परिणामः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनता के विश्वास और सहयोग का परिणाम है। सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करती रहेगी।

ये हैं टॉप-10 सीएम

सीएम	राज्य	प्रतिशत
हिमंत बिस्वा	असम	44.6
विष्णुदेव साय	छत्तीसगढ़	41.9
हेमंत सोरेन	झारखंड	41.9
भूपेंद्र पटेल	गुजरात	40.7
योगी आदित्यनाथ	यूपी	40.4
मोहन यादव	मध्यप्रदेश	39.2
चंद्रबाबू नायडू	आंध्रप्रदेश	38.1
मोहन चरण मांझी	ओडिशा	34.2
ममता बनर्जी	प. बंगाल	30.1
भगवंत मान	पंजाब	29.9

271 कॉलोनियां स्कीम में फंसी, वैध करने पर पेंच

इंदौर | शहर में 300 से ज्यादा कॉलोनियों को नगर निगम नियमित करना चाहता है, लेकिन इनमें से करीब 271 कॉलोनियों पर इंदौर विकास प्राधिकरण को आपत्ति है। इन कॉलोनियों की जमीन पर आईडीए की 40-50 साल पुरानी योजनाएं अधिसूचित हैं, लेकिन दशकों से वहां कोई काम नहीं हुआ।

योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रभारी एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने मुख्यमंत्री को इस आशय का पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि निगम अब तक 137 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर चुका है। शहरी क्षेत्र में 271 कॉलोनियां ऐसी हैं, जिसमें प्राधिकरण ने आपत्ति दर्ज करवाई है, क्योंकि यह क्षेत्र उनकी स्कीम में आते हैं। इन्हें योजना से मुक्त करें, ताकि नियमित किया जा सके।

शराब घोटाला • 28 आरोपियों को सरेंडर के निर्देश

निलंबित आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

भास्कर न्यूज | रायपुर

प्रदेश के 3200 करोड़ के शराब घोटाला में वर्तमान और पूर्व 28 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल है। कोर्ट ने सभी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। ट्रायल कोर्ट में जमानत बॉड पेश करने को कहा है। चर्चा है कि ट्रायल कोर्ट में बॉड पेश करने के बाद सभी को जमानत का लाभ मिल सकता है। इसके साथ कोर्ट ने सभी को निर्देश दिया है कि आगे की जांच और सुनवाई में वे सहयोग करेंगे। दरअसल, निलंबित आबकारी अधिकारी विकास गोस्वामी समेत अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

इन्हें मिली राहत

ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन आबकारी नोहर सिंह ठाकुर, नीतू नोतानी, अरविंद पाटले, नवीन प्रताप तोमर, राजेश जायसवाल, विकास गोस्वामी, दिनकर वासनिक, अनिमेष नेताम, सौरभ बख्शी, मोहित जायसवाल, आशीष कोसम, गरीब पाल दर्दी, एके सिंह, प्रकाश पाल, रामकृष्ण मिश्रा, नितिन खंडूजा, मंजुश्री कसेर, वेदराम लहरे, एके अनंत, एलएल ध्रुव, विजय सेन शर्मा, प्रमोद नेताम, सोनल नेताम, अलेख सिदार, जेआर मंडावी, जीआर पैकरा, जीएस नुरुटी, देवलाल वैध और मृतक अशोक सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसमें से 8 अधिकारी रिटायर हो गए है। 20 अभी नौकरी पर है। एक की मौत हो चुकी है।

नारायणपुरः नक्सलियों के हथियारों का जखीरा, एलएमजी समेत आधुनिक व देसी हथियार जब्त

भास्कर न्यूज | नारायणपुर

नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत कोहकामेटा क्षेत्र में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। पहले इलाके में जवानों की पार्टी का सामना माड़ डिवीजन के नक्सलियों से हुआ, जिस पर कमजोर पड़ते चले गए नक्सली मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इसके बाद सर्च ऑपरेशन में जवानों ने नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद किया है। हथियारों में एलएमजी, एके-47, इंसास, एसएलआर, स्टेनगन जैसे आधुनिक हथियारों के साथ ही बड़े पैमाने पर बीजीएल शेल, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स के साथ करीब 300 से ज्यादा सामान जब्त किए गए हैं। जवानों का दावा है कि मुठभेड़ में कड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए हैं।

हिंदू संगठन के ऑफिस में घुसे दो युवक, लोगों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा

इंदौर | पंढरीनाथ थाना इलाका स्थित फूल मंडी बंद होने से बौखलाए दो युवक हिंदू संगठन के कार्यालय में घुस गए। इसके बाद लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक शिकायत पर अय्यूब खान, हामिद और सोहेल के खिलाफ जबरदस्ती घुसने व धमकाने की धाराओं में केस दर्ज किया है।

HARERA

सार्वजनिक सूचना

स्वतंत्र आवासीय मंजिल परियोजना अर्थात "जेएमएस ग्रुप द मैजेस्टिक एबोड"

जो मानेसर के सेक्टर- एम 9, एम 10, एम 13, एम 14, बंशरिया और बांसखुसला, गुरुग्राम के राजस्व संपदा में स्थित है, जिसे मेसर्स जेएमएस रियल्टी डेवलपर्स एलएलपी द्वारा विकसित किया जा रहा है, के पंजीकरण के लिए आवेदन।

यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि स्वतंत्र आवासीय मंजिल परियोजना अर्थात **"जेएमएस ग्रुप द मैजेस्टिक एबोड"** जो मानेसर के सेक्टर- एम 9, एम 10, एम 13, एम 14, बंशरिया और बांसखुसला, गुरुग्राम के राजस्व संपदा में स्थित है, के पंजीकरण के लिए **मेसर्स जेएमएस रियल्टी डेवलपर्स एलएलपी** द्वारा 2016 के अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिनांक 19.08.2025 को प्राधिकरण में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा ने मेसर्स वर्ल्डवाइड रिजॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मेसर्स एक्टिव प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को 118.150 एकड़ क्षेत्रफल के लिए लाइसेंस संख्या 136/2022 दिनांक 08.09.2022 प्रदान किया है। उपरोक्त लाइसेंस पहले से ही आरसी संख्या 100 / 2022 दिनांक 14.11.2022 के तहत अनुमोदित "द गोल्डन सिटी" के नाम से प्राधिकरण के पास पंजीकृत है, जो 30.09.2024 तक वैध है, जिसे एक्सटेंशन नंबर 13/2025 के माध्यम से 30.09.2025 तक आगे बढ़ाया जाता है।

इसके बाद, प्रमोटर अर्थात मेसर्स जेएमएस रियल्टी डेवलपर्स एलएलपी जो 22 भूखंडों (डी-294 से डी-297, डी-341 से डी-360) का कन्वेयंस डीड धारक है, ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा द्वारा स्व-प्रमाणन नीति के तहत स्वतंत्र आवासीय मंजिलों की भवन योजनाएं प्राप्त की हैं और 19.08.2025 को प्राधिकरण में इन 22 भूखंडों पर 88 स्वतंत्र आवासीय मंजिलों के लिए आवेदन किया है। इन 22 भूखंडों से संबंधित क्षेत्र 0.7922 एकड़ (3205.94 वर्गमीटर) है।

प्रासंगिक आवेदन व संबंधित दस्तावेज हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी संबंधित व्यक्ति दिनांक 12.09.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान देख सकता है। साथ ही, यदि कोई उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

प्राधिकरण की स्वीकृति व उसकी मुहर के तहत दिया गया।

दिनांक: 30.08.2025

हस्ता/-
सचिव,
हरियाणा रियल एस्टेट
विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम

ऋषि पंचमी पर देवरी में निकली सांपों की शोभायात्रा

फिंगेश्वर | फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम देवरी में ऋषि पंचमी के अवसर पर सांवरा समिति के लोगों ने जहरीले सर्पों की शोभायात्रा निकाली। इसे देखने दूर-दराज के गांवों से हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा गांव श्रद्धालुओं से भर गया। हर साल की तरह इस बार भी सांवरा समिति द्वारा यह विशेष आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार, घरों और खेतों में निकलने वाले जहरीले सांपों को ग्रामीण सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं। इन्हीं सर्पों की पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा निकाली जाती है। गांव-गांव से पहुंचे लोग जगह-जगह पूजा-अर्चना करते हैं और शोभायात्रा का स्वागत करते हैं। शोभायात्रा समाप्त होने के बाद सभी सर्पों को सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़ दिया गया।

2009 के केस में इंदौर कोर्ट का फैसला

कोर्ट में गवाह पर हमला करने वाले पांच वकीलों को सजा

भास्कर संवाददाता | इंदौर

इंदौर जिला कोर्ट ने उज्जैन के पांच वकीलों को 2009 में कोर्ट परिसर में गवाह पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। चार वकीलों—धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय को सात-सात साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, 90 वर्षीय वकील सुरेंद्र शर्मा को तीन साल की सामान्य कैद की सजा दी गई है।

यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण डागलिया की अदालत ने सुनाया। संभवतः यह पहला मामला है जब एक साथ पांच वकीलों को सजा दी गई है। एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र और शैलेंद्र, वरिष्ठ वकील सुरेंद्र शर्मा के बेटे हैं, जबकि अन्य दो आरोपी उनके जूनियर थे।

यह है मामला

यह मामला 10 फरवरी 2009 का है, जब उज्जैन जिला कोर्ट परिसर में एक गवाह पर कुर्सी, लाठी, छड़ और डंडों से हमला किया गया था। गवाह को जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी रिवॉल्वर, चेन और घड़ी भी लूट ली गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल गवाह को पहले उज्जैन के संजीवनी अस्पताल और फिर इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह करीब 15 दिन तक इलाजरत रहा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया था। अब 16 साल बाद कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY (NIELIT), KURUKSHETRA

(An Autonomous Scientific Society under MeitY, Govt. of India)
Address: Govt. Polytechnic Campus, Umri, NH-44 (GT Road), Kurukshetra, Haryana - 136 131, Contact No.: +91 93501 21146

रा.इ.सू.प्रौ.सं NIELIT | Ministry of Electronics & Information Technology Government of India

Applications are invited from Computer Institutes operational in Haryana

for becoming

NIELIT Accredited NSQF Training Partner (TP)

Why to became NIELIT TP?

- **Trusted Nationwide for Quality Skill Development**
- Nationwide Reach & Credibility
- Recognized assessment agency
- More than 100 NSQF aligned courses in IT and Electronics from Levels 2 to 6
- Strategic Industry Collaboration with Tata, Intel, Infineon, and Kyndryl to ensure curriculum relevance and internship opportunities

Benefits of becoming NSQF TP

- **Boost your institute's credibility** with certification from a government organization (Ministry of Electronics & IT) through NIELIT accreditation
- **Broaden your course offerings** by conducting official NSQF-aligned programs
- **Expand your student base** via inclusion under Skill India initiatives students gain nationally recognized certification valued by employers
- **Revenue opportunity**: charge training fees locally while leveraging NIELIT's registration, examination and certification system
- **Accreditation Fee:** Minimal Accreditation fee

Benefits of NSQF Aligned Courses

- Skills certified under NSQF Levels 2-6, mapping to industry demand in IT / IECT sectors
- Popular Courses like AI Development Associate, Internet of Things (IoT) Assistant, Certified Web Developer, Certified Multimedia Developer, Certified Data Entry and Office Assistant (Upskilling)
- Free Access to Selected NSQF Courses through NIELIT Virtual Academy (NVA)

Certification & Assessment

- Online/Offline exams & project evaluations
- Conducted by NIELIT/SSC Sector Skill Council
- Certificates recognized nationally & internationally
- Helps in Govt. Job eligibility, internships & placements in industry

How to Apply?

- **For all NSQF Aligned Courses (excluding O/A Level & CCC)**, interested institutes need to **apply online** through https://accreditation.nielit.gov.in/ and send hard copy of **filled application form** (Section-A, available on https://www.nielit.gov.in/content/nsqf) along with all relevant documents to **NIELIT Kurukshetra**.
- **For O/A Level & CCC**, the institutes shall **apply online** through https://accreditation.nielit.gov.in/ and send hard copy along with relevant documents to **NIELIT HQs.**

CBC 06145/11/0008/2526)

PETRONET LNG LIMITED

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली - 110001
फोन: 71233525, CIN: L74899DL1998PLC093073
ईमेल: investors@petronetlng.in, कम्पनी की वेबसाइट: www.petronetlng.in

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक आम बैठक ("27वीं वार्षिक आम बैठक") **बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 3:30 बजे** (भा.मा.स.) आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों के संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईएसटी) सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, **27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना,** जिसमें एजीएम में किए जाने वाले सामान्य और विशेष व्यवसायों का विवरण है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के पास पंजीकृत हैं और ईमेल प्रक्रिया 29 अगस्त, 2025 को पूरी हो गई है।

यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.petronetlng.in** और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर और ई-वोटिंग एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।

रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश 2024-25 का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों के अंतिम लाभांश (10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 3.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) ("लाभांश") की पात्रता निर्धारित करने के लिए **शुक्रवार, 4 जुलाई 2025** को **'रिकॉर्ड तिथि'** के रूप में निर्धारित किया गया था, जो 27वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लाभांश को अनुमोदित किया जाता है, तो घोषणा के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पात्र शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, यह अनिवार्य करता है कि कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य है। इसलिए, कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ("टीडीएस") की कटौती करनी होगी। कंपनी को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए लागू टीडीएस दर के अनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि **23 अगस्त 2025** तक या उससे पहले संबंधित दस्तावेज जमा करें। लाभांश पर टीडीएस के संबंध में **विस्तृत जानकारी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड: TDSRelated Information- Petronetlng लिंक पर उपलब्ध है।**

27वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी एनएसडीएल के माध्यम से सदस्यों को 27वीं वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर दूरस्थ ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

(i) बैठक का कार्य रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।	हाँ
(ii) रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में मतदान द्वारा वोट देने हेतु सदस्यों की पात्रता को सुनिश्चित हेतु कट-ऑफ तिथि	बुधवार, 17 सितंबर, 2025
(iii) रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि और समय।	शनिवार, 20 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST)
(iv) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय।	मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST)
(v) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति इस तिथि के बाद नहीं दी जाएगी।	मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST)
(vi) कंपनी और NSDL का वेबसाइट पता जहाँ 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रदर्शित है।	**www.petronetlng.in** **www.evoting.nsdl.com** **कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का सूचना पट्ट**
(vii) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का संपर्क विवरण।	**श्री राजेश मिश्रा, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) पिनेकल बिजनेस पार्क, कार्यालय संख्या S6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093** **फोन: 022-62638200, 011-42425004, 011-47565852** **ईमेल: investor@bigshareonline.com** किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ए. जिन सदस्यों ने 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी 27वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

बी. ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान, कंपनी के वे सदस्य जिनके पास कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 17 सितंबर, 2025** को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। **मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 शाम 5:00 बजे** (भारतीय मानक समय) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अवरुद्ध हो जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने या दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

सी. सदस्यों के मताधिकार, कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 17 सितंबर, 2025** को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

डी. कोई भी व्यक्ति, जो 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है, या जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं है और कट-ऑफ तिथि अर्थात **बुधवार, 17 सितंबर, 2025** तक शेयर धारण करता है, **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई. 27वीं वार्षिक आम बैठक में बैठक में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।

एफ. वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ 27वीं वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही लेना चाहिए।

जी. डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए मतदान का तरीका वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया गया है।

एच. यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें 27वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि अर्थात **बुधवार, 24 सितंबर, 2025** को पारित माना जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश, मतदान करने का तरीका आदि शामिल हैं।

सदस्यों से सामान्य अपील

1. 16 जुलाई, 2025 के एमसीए परिपत्र के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों के केवाईसी और बैंक विवरण सहित अन्य संबंधित विवरणों को अद्यतन करने के लिए **सक्षम निवेशक - 100 दिनों का अभियान** शुरू किया है ताकि अवैतनिक/अदावाकृत लाभांशों को आईईपीएफ में स्थानांतरित होने से रोका जा सके और कंपनी के पास पड़े अवैतनिक/अदावाकृत लाभांशों का दावा किया जा सके।
2. तदनुसार, यह सादर अनुरोध किया जाता है कि जिन सदस्यों ने अभी तक अपने केवाईसी विवरण, जैसे पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल पता), बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर, पंजीकृत/अद्यतित नहीं किए हैं, वे यदि शेयर डीमैट रूप में हैं तो संबंधित डिपॉजिटरी को इसकी सूचना दें और यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को इसकी सूचना दें।
3. सेबी ने 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के माध्यम से, केवल उन **हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो** 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए खोली है, जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया, इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल की गई प्रतिभूतियाँ (जिनमें सूचीबद्ध कंपनी/आरटीए के पास आज की तारीख तक लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) केवल डीमैट मोड में जारी की जाएँगी। ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. विस्तृत जानकारी/परिपत्र कंपनी की वेबसाइट **www.petronetlng.in→investors→shareholders information→norms for processing investor service requested by RTA & related forms** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित/-
(राजन कपूर)
जीजीएम एंड प्रेसिडेंट - कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 अगस्त, 2025

नोटः 27वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर सदस्यों को कोई उपहार, उपहार कूपन या उपहार के बदले नकद राशि वितरित नहीं की जाएगी।